



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0-61 / 2017-591 दिनांक : 24.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल/धनबाद वन प्रमण्डल/रामगढ़ वन प्रमण्डल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/देवघर वन प्रमण्डल/चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित में की जाने वाली "सिल्विकल्वर ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण कार्य का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल रु0 18.238 लाख (अठारह लाख तीर्हस हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-08/2018-43/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-08/2018-41/आ0 व0प0 दिनांक 16.05.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल रु0 18.238 लाख (अठारह लाख तीर्हस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	18.238
कुल :-		18.238

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर तालिका अनुलग्नक-2 एवं ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789400103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उप आवंटन के कंडिका-5 में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गये कार्यों से वनों के घनत्व में आये परिवर्तन को देखा जा सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री क्रय का भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—19 / 2017—591

दिनांक—24.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/दुमका/हजारीबाग/पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/देवघर/चतरा/हजारीबाग/गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—19 / 2017—591

दिनांक—24.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/धनबाद/रामगढ़/गिरिडीह/देवघर/चतरा/हजारीबाग/गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की गयी "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू संरक्षण तथा वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेतु)	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			1823.76	0.00	1823.76
रीजन का नाम :- बोकारो					
1	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	60	1.094	0.000	1.094
2	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	100	1.824	0.000	1.824
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	79	1.441	0.000	1.441
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	150	2.736	0.000	2.736
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	74	1.349	0.000	1.349
	योग	463	8.444	0.000	8.444
रीजन का नाम:- दुमका					
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	102	1.860	0.000	1.860
	योग	102	1.860	0.000	1.860
रीजन का नाम:- हजारीबाग					
1	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	100	1.824	0.000	1.824
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	135	2.462	0.000	2.462
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	100	1.824	0.000	1.824
	योग	335	6.110	0.000	6.110
रीजन का नाम:- पलामू					
1	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	100	1.824	0.000	1.824
	योग	100	1.824	0.000	1.824
	सकल योग	1000	18.238	0.000	18.238

प्रधान मुख्य सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 249.83

कार्य दर प्रति हेतु

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	सुरक्षा एवं संपोषण	7.30	1823.76	0.00	1823.76	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोडनी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग—	7.30	1823.76	0.00	1823.76	

नोट:-

- प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017/591

दिनांक -

24-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103	36423	BKRFOR001	109,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		RAVINDRA NATH MISHRA	रुपये एक लाख नौ हजार चार सौ
	01 - वानिकी		D F O, BOKARO	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	40 -			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
2	S 19 240601789400103	36425	DHNFOR001	182,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये एक लाख बयासी हजार चार
	01 - वानिकी		DIVISIONAL FOREST	सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		OFFICER	
	40 -			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
3	S 19 240601789400103	36427	HZBFOR001	144,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		DIV. FOREST OFFICER	रुपये एक लाख चवालीस हजार एक
	01 - वानिकी		RAMGARH	सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DIV. FOREST OFFICER	
	40 -			
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
योग:				435,900.00
क्रमिक योग:		रुपये चार लाख पैतीस हजार नौ सौ		



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36428	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	273,600.00 रुपये दो लाख तीन हजार छ: सौ
5	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36430	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	134,900.00 रुपये एक लाख चौतीस हजार नौ सौ
6	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	36432	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	186,000.00 रुपये एक लाख छियासी हजार
योग:				594,500.00
क्रमिक योग:				1,030,400.00
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789400103	36433	CTRFOR002	182,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NARESH CHANDRA	रुपये एक लाख बयासी हजार चार
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		SINGH MUNDA	सौ
	40 -		D.F.O, NORTH DIV.	
	01 - वेतन एवं भत्ते		CHATRA	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
8	S 19 240601789400103	36435	CTRFOR003	246,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI KALI KINKER	रुपये दो लाख छयालीस हजार दो सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SOUTH DIVN.	
	40 -		CHATRA	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
9	S 19 240601789400103	36437	HZBFWL005	182,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		PATRUNI RAJENDRA	रुपये एक लाख बयासी हजार चार
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		NAIDU	सौ
	40 -		D.F.O., HAZARIBAG	
	01 - वेतन एवं भत्ते		WEST DIV,HZB	
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
योग:				611,000.00
क्रमिक योग:				1,641,400.00
(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)				
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789400103	36439	GRHFWL004	182,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		AVIROOP SINHA	रुपये एक लाख बयासी हजार चार सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	
	40 -			
	01 - वेतन एवं भरते			
	03 - मजदूरी			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		



योगः

182,400.00

क्रमिक योगः

रुपये अठारह लाख तेइस हजार आठ सौ

1,823,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI